56

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक– /2017 R-1076 I-17

रिवीजनकर्ता :– श्रीमती बिब्बी बेगम पत्नी श्री शेख वसीर, जाति–मुस्लमान, निवासी–ग्राम लायरा, तहसील कुरवाई जिला विदिशा (म0प्र0)

विरूद्ध

प्रतिरिवीजनकर्ताः– 1. श्रीमती शाहजहां बेगम पत्नी श्री अजीज खा, जाति–मुस्लमान, निवासी–ग्राम लायरा, तहसील कुरवाई जिला विदिशा (म0प्र0)

2. म0प्र0 शासन

दिनाँक 3.4.17 को श्री विवेक व्यास अभि0 द्वारा प्रस्तुत।

3.4.17

न्यायालय तहसीलदार कुरवाई जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक–19/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2016 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

VIVEK VYAS Ad.

माननीय महोदय

रिवीजनकर्ता की ओर से पुनरीक्षिया याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुरवाई का आदेश दिनांक 16.12.2016 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आदेश दिनांक 16.12.2016 अनेक्चर–ए/1 हैं।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा रिवीजनकर्ता को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधि अवसर प्रदान

<u>राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1076–एक/17 जिला –विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
17.7.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विवेक व्यास उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण में कई बार अभिलेख के मांग पत्र भेजे गये है परन्तु अभिलेख नहीं आ रहा है। अतः प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में तर्क सुन लिये जावे। अनावेदक कमांक–2 शासन के पैनल अधिवक्ता श्री त्यागी उपस्थित। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील कुरवाई जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 19/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.12.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका श्रीमती शाहजहां बेगम पत्नी श्री आजीज खां निवासी ग्राम लायरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा द्वारा आवेदन प्रस्तुत सीमांकन हेतु निवेदन किया। तहसीलदार तहसील कुरवाई जिला विदिशा द्वारा दिनांक 6.12.16 को राजस्व निरीक्षक कलेक्टर भू–अभिलेख विदिशा को आदेशित कर ग्राम कृषक लायरा में स्थित भूमि खसरा न0 1054/2/1 रकवा 0.115 है0 सीमांकन टोटल मशीन से	

कराने का आदेश दिया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 6.12.16के अनुसार ई.टी.एस.एम प्रशिक्षित राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कराकर तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा पंचनामा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर दिनांक 16.12.16 को कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण सीमांकन की पुष्टि की गई इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4-- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुरवाई का आदेश दिनांक 16.12.16 का अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उनका तर्क यह भी है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और बिना सूचना के किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है। सीमांकन करते समय कानूनी प्रकिया का पालन नहीं किया गया है और पड़ोसी कृषक को एवं आस पड़ोस मेड़ियों के हस्ताक्षर न होते हुये अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये हैं जो कि इस बात को दर्शाते है कि उपरोक्त सीमांकन पूर्ण दुर्भावना व कानून की प्रकिया के प्रतिकूल किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर सीमांकन निरस्त कर पुनः सीमांकन कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

5-- आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया गया है कि आवेदक को सूचना ही नहीं दी गई है और न ही सूचना

पत्र जारी किया गया है। पंचनामा में भी आवेदिका के हस्ताक्षर नहीं है, इससे से यह सिद्व होता है कि आवेदिका को सूचना नहीं है जबकि पड़ोसियों कास्तकार को सूचना म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत देना आवश्यक है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील कुरवाई जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 19 / अ—12 / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 16.12.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार तहसील कुरवाई को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को एवं मेढ़िया कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

सदस्य